विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार पतरस लेगा बुधु उरांव पिता सुकरू उरांव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पोता की पत्नी सबिता लकड़ा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम बेहरनिबासा खाता नं० 101 खेसरा नं० 852 रकबा 2 ए० वर्ष 2002-03 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान सबिता लकड़ा ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम बेहरनिबासा खाता न0 101 प्लॉट न0 852 सर्वे खतियान में ~~क्रिस्म~~ खाता 101 में खेसरा नं० 852 का उल्लेख नहीं है। दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अ0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पतरस लेगा बुधु उरांव पिता - सुकरू उरांव ग्राम बेहरनिबासा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
बेहरनिबासा	65	101	852	2 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.09.09 13:37:57 +05:30
Location: 192.168.43.44

Scanned by TapScanner